



## नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लि० के सदस्यों के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

1. हमने 31 मार्च, 2009 तक की अवधि के नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लि० के संलग्न तुलन पत्र, 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ-हानि खाते तथा उस तिथि को समाप्त अवधि के केश फ्लो विवरणी की लेखा परीक्षा कर ली है तथा ये संलग्न है। ये वित्तीय विवरण कंपनी प्रबंधन की जिम्मेवारी है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत प्रकट करना है।
2. हमने अपना लेखा परीक्षण, भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर किया है। इन मानकों में यह अपेक्षित होता है कि हम अपनी लेखा परीक्षा की योजना एवं उसका निष्पादन यह सुनिश्चित करने के लिए करें कि वित्तीय विवरणों में कोई बड़ी त्रुटी नहीं है। लेखा परीक्षण में, वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई राशि तथा इनकी पुष्टि करने वाले दस्तावेजों की टेस्ट के आधार पर जांच सम्मिलित है। लेखा परीक्षा में उपयोग किए जाने वाले लेखा सिद्धांतों तथा प्रबंधवर्ग तथा बनाए गए सार्थक आकलनों के मूल्यांकन के अलावा संपूर्ण वित्तीय विवरण प्रस्तुति का मूल्यांकन भी सम्मिलित है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा हमारे मत को उचित आधार प्रदान करती है।
3. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 (4ए) की शर्तों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 में अपेक्षित तथा हमारे विचार से उचित मानी गई जांच के आधार पर तथा लेखा परीक्षा के दौरान दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार हम उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 तथा 5 में उल्लिखित विषयों पर विवरण संलग्न कर रहे हैं।
4. हम आगे निम्नानुसार सूचित करते हैं :-
  - i) जैसाकि अनुसूची 5 की टिप्पणी संख्या 9 में उल्लिखित किया गया है कि गत वर्ष, वर्ष 2008-09 के दौरान अर्जित किए गए नए विमान बेड़े के बोइंग बी 777/787 तथा एयरबस ए-319/320/321 विमानों का उपयोगी जीवनकाल कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में उल्लिखित 16.96 वर्षों के स्थान पर 20 वर्ष अनुमानित किया गया है, जिसके लिए कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 के तहत निगमित कार्य मंत्रालय से अनुमोदन मांगा है। इसके कारण परिसंपत्तियों का अनुमानित जीवनकाल अधिक दर्शाया गया है जिससे वर्ष के लिए 924.00 मिलियन रुपये तक मूल्यह्रास कम दर्शाया गया है। इस प्रकार, वर्ष के लिए 924.00 मिलियन रुपये तक की हानि कम दर्शायी गयी है तथा पिछले वर्ष 246.30 मिलियन रुपये तक की राशि कम दर्शायी गयी है जिसके परिणामस्वरूप स्थिर परिसंपत्तियां भी 1,170.30 मिलियन रुपये तक अधिक दर्शायी गयी है।
  - ii) जैसाकि अनुसूची - V टिप्पणी संख्या 16(छ) में उल्लेख किया गया है कि प्राप्त तथा देय के पुष्टिकरण एवं उनके मिलान के संबंध में वित्तीय विवरणों पर ऐसे शेषों के मिलान/पुष्टिकरण के कारण उत्पन्न समायोजन के प्रभाव पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अतः उक्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव को निश्चित नहीं किया जा सकता।
  - iii) लेखा परीक्षकों से कंपनी के विदेशी स्टेशनों का दौरा न करने का अनुरोध किया गया था। इन दौरों का उद्देश्य शाखाओं से संबंधित मूल रिकार्डों का लेखा परीक्षा करना एवं उनके लिए आंतरिक नियंत्रणों की जांच करना था। तथापि कुछ रिकार्ड/दस्तावेज भारत लाए गए तथा हमारी समीक्षा, लेखा परीक्षा समीक्षा के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए रिकार्डों की जांच तक ही सीमित थी।
  - iv) लेखांकन नीति संख्या च (क), के अनुसार कुछ विमानों को खरीदते समय विमान निर्माताओं द्वारा हैंडलिंग, सर्विसिंग तथा आकस्मिक राजस्व के लिए 770.90 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 1457.30 मिलियन रुपये) का क्रेडिट किया गया था जिसका उपयोग कंपनी द्वारा कल-पुर्ज खरीदने अथवा अन्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए किया जाना था। चूंकि



उक्त क्रेडिट का अब तक उपयोग नहीं किया गया है, हमारे विचार में, उक्त क्रेडिट को लाभ तथा हानि खाते में क्रेडिट नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसके स्थान पर उक्त क्रेडिट को लाभ एवं हानि खाते में समायोजित कर देयता के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। अतः वर्ष के लिए 770.90 मिलियन रुपये की हानि कम दर्शायी गयी तथा पिछले वर्ष 1457.30 मिलियन रुपये की हानि कम दर्शायी गयी। वर्तमान देयताएं 1034.50 मिलियन रुपये कम दर्शायी गयी।

- v) आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि उपर्युक्त पैरा 4 (ii) में उल्लिखित मदों के प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सका, पैरा 4 (i) तथा 4 (iv) में हमारी टिप्पणियों पर विचार करने पर वर्ष में 55482.60 मिलियन रुपये की रिपोर्ट की गई हानि के स्थान पर 57,177.50 मिलियन रुपये की हानि होगी। पिछली अवधि की हानि रिपोर्ट की गई 22,261.6 मिलियन रुपये की हानि के स्थान पर 23,965.20 मिलियन रुपये होगी। स्थिर परिसंपत्तियां रिपोर्ट की गई 2,75,027.20 मिलियन रुपये के बजाए 2,73,856.90 मिलियन रुपये होगी। वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान रिपोर्ट किए गए 52,555.50 मिलियन रुपये के स्थान पर 53,590.00 मिलियन रुपये होगी।

5. निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित किया जाता है :

- i) अनुसूची – V की टिप्पणी संख्या 8 – पूंजी आरक्षिति को सामान्य आरक्षिति में अंतरित करने एवं तदनन्तर सामान्य आरक्षिति की संचित हानि की क्षतिपूर्ति करने के संबंध में है।
- ii) अनुसूची – V की टिप्पणी संख्या 32 – राजस्व की पहचान तथा वसूली योग्य राशि के लिए अप्रावधान के संबंध में है।
- iii) अनुसूची – V की टिप्पणी संख्या 26 – एक निश्चित समय पर उगाही जाने वाली आस्थगित परिसंपत्तियां मानने के लिए प्रबंधन द्वारा दिए गए तर्क के संबंध में है।
- iv) अनुसूची – V की टिप्पणी संख्या 15 – कंपनी ने कर्मचारियों को दिए गए निःशुल्क पैसेज तथा क्रू के होटल व्यय को अनुषंगी लाभ नहीं माना तथा तदनुसार उन पर अनुषंगी लाभ कर (एफ बी टी) का प्रावधान नहीं करने के संबंध में है। कंपनी ने उक्त अवधि के लिए व्ययों के अनुमान के आधार पर अनुषंगी लाभ कर (एफ बी टी) का प्रावधान/भुगतान किया।
- v) अनुसूची – V की टिप्पणी संख्या 7 – 51,295.10 मिलियन रुपये की राशि तथा वसंत विहार आवासीय कालोनी में अचल संपत्ति का सामान्य आरक्षिति पर परिणामी प्रभाव लीज़ डीड की बहाली के अधीन होने के संबंध में है।
- vi) अनुसूची – V की टिप्पणी संख्या 17 – हैंडलिंग एवं सुरक्षा सेवा राजस्व की गणना उद्धृत दरों के आधार पर की गई है जिनके समझौतों को अभी अंतिम रूप दिया जाना शेष है, से संबंधित है।
- vii) जैसाकि केन्द्रीय सरकार ने धारा 441 ए के तहत देय उपकर को अधिसूचित नहीं किया है, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227(3) (छ) के तहत रिपोर्टिंग की आवश्यकता ही नहीं है।
- viii) टिप्पणी संख्या 33 कंपनी द्वारा सिमुलेटर भेंट करने के संबंध में है जिसके लिए अंशधारियों का अनुमोदन प्राप्त होना शेष है।
- ix) टिप्पणी संख्या 3 (क) एवं (ख) लेखांकन नीतियों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न परिणामों के प्रभाव के संबंध में है जिसके प्रभाव से हानि में 967.4 मिलियन रुपये की कमी आई है।



6. उपर्युक्त पैरा (3) के संदर्भ में अनुलग्नक में दी गई हमारी टिप्पणियों के आगे, हम सूचित करते हैं कि :-

- i) हमने वे सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे ।
  - ii) हमारी राय में, कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित खाता बहियां रखी हुई हैं जैसाकि कंपनी के केन्द्रीय लेखा कार्यालय में बनाई गई इन खाता बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, स्टेशनों से प्राप्त सूचना/विवरणी सम्मिलित करने पर तथा आउटसोर्स एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्ट हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए सामान्य रूप से उपर्युक्त पाई गई।
  - iii) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में दी गई परिभाषा के अनुसार कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी को विधि, न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 22 मार्च, 2002 के परिपत्र संख्या 2/5/2001/सीवी. वी सामान्य परिपत्र सं. 8/2002 के माध्यम से उक्त अधिनियम की धारा 274(1) (जी) के प्रावधानों की प्रयोज्यता से छूट प्राप्त है ।
  - iv) रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र तथा लाभ-हानि खाता लेखा बहियों के अनुरूप हैं ।
  - v) हमारी राय में ऊपर 4 (i) तथा 4 (iv) में उल्लिखित टिप्पणियों को छोड़कर रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, लाभ तथा हानि खाता एवं कैश फ्लो विवरण में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उप धारा (3 सी) में दिए गए लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है ।
  - vi) हमारी राय में एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण, बशर्ते पैराग्राफ 4 (i) से 4 (iv) तथा उनकी टिप्पणियों के साथ पढ़ने पर, कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित सूचना प्रदान करते हैं एवं भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं उचित जानकारी प्रदान करते हैं ।
- क) तुलन पत्र के संबंध में 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्य की स्थिति ।
- ख) लाभ एवं हानि खाते के संबंध में, 31 मार्च, 2009 को समाप्त अवधि में कंपनी की हानि ।
- ग) कैश फ्लो विवरणी के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त अवधि के दौरान कैश फ्लो ।

कृते एवं की ओर से  
पी.के. चोपड़ा एवं कंपनी  
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

हस्ता / -  
सुभाष कपूर  
भागीदार  
सदस्यता सं0 12781

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 17 नवम्बर, 2009

कृते एवं की ओर से  
ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एवं कंपनी  
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

हस्ता / -  
अनिल कु. ठाकुर  
भागीदार  
सदस्यता सं0 088722

स्थान : नई दिल्ली

कृते एवं की ओर से  
छजेद एवं दोशी  
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

हस्ता / -  
किरण के. दफ्तरी  
भागीदार  
सदस्यता सं0 10279

स्थान : मुंबई



## लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुलग्नक

### समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ (3) में उल्लिखित ।

1. (क) कंपनी ने रोटेबल्स को छोड़कर, स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में मात्रात्मक विवरण एवं उनके स्थान सहित संपूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकार्ड रखे हैं । कंपनी ने कुछ स्थानों पर स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य अपडेट नहीं किया है । कुछ स्थानों पर एयरक्राफ्ट रोटेबल्स तथा अन्य परिसंपत्तियों के लिए स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर का मिलान वित्तीय रिकार्डों के साथ किया जा रहा है ।
- (ख) कंपनी बारी-बारी से स्थिर परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन करती है जिससे प्रत्येक परिसंपत्ति का प्रत्येक दो वर्ष में एक बार सत्यापन हो जाता है जोकि हमारी राय में पर्याप्त है । वर्ष के दौरान प्रबंधन ने कुछ स्थानों पर ही प्रत्यक्ष सत्यापन कराया है । वित्तीय रिकार्डों तथा प्रत्यक्ष सत्यापन के परिणामों के बीच पूर्ण मिलान न होने के कारण हम यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि प्रत्यक्ष सत्यापन में कोई बड़ी त्रुटि तो नहीं है ।
- (ग) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, गोइंग कन्सर्न मान्यता के आधार पर कंपनी ने उक्त अवधि के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों के किसी बड़े हिस्से का निपटान नहीं किया है ।
- 2) (क) कंपनी में निरंतर आधार पर दो वर्षों में कम से कम एक बार इन्वेंटरी का प्रत्यक्ष सत्यापन करने की कार्यप्रणाली है ।
- (ख) प्रबंधन द्वारा निरंतर आधार पर इन्वेंटरी के प्रत्यक्ष सत्यापन की कार्यप्रणाली उपयुक्त है । तथापि, कंपनी के आकार एवं उसके कार्य की प्रकृति को देखते हुए, इसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाया जाना चाहिए । कंपनी ने उक्त अवधि के दौरान कुछ ही स्थानों में इन्वेंटरी का प्रत्यक्ष सत्यापन किया है । कंपनी ने बाहरी एजेंसियों के पास पड़ी इन्वेंटरी के संबंध में पुष्टि/प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किए हैं ।
- (ग) इन्वेंटरी रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, हमारी राय में, कंपनी इन्वेंटरी का उचित रिकार्ड रख रही है । बही रिकार्डों की तुलना में इन्वेंटरी का प्रत्यक्ष सत्यापन करने पर पाई गई त्रुटियों को संबंधित विभाग से छानबीन करने के उपरांत लेखा खातों में उचित रूप में दिखाया गया है ।
- 3) (क) कंपनी ने अधिनियम 1956 की धारा 301 के तहत बनाए गए रजिस्टर में सम्मिलित कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पार्टियों को किसी प्रकार के रक्षित अथवा अरक्षित ऋण नहीं दिए हैं ।
- (ख) परिणामस्वरूप, ब्याज दरों तथा दिए गए ऋण की अन्य निबंधन एवं शर्तों पर टिप्पणी करना चूंकि कंपनी के हितों में नहीं होगा, अतः मूल एवं ब्याज की नियमित रूप से प्राप्ति तथा मूल एवं ब्याज की वसूली के लिए उठाए गए उचित कदम जैसे मुद्दों पर टिप्पणी करने का प्रश्न नहीं उठता है ।
- (ग) कंपनी ने अधिनियम की धारा 301 के तहत बनाए गए रजिस्टर में सम्मिलित कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पार्टियों से किसी प्रकार के रक्षित अथवा अरक्षित ऋण नहीं लिए हैं ।
- (घ) परिणामस्वरूप, ब्याज दरों तथा लिए गए ऋण की अन्य निबंधन एवं शर्तों पर टिप्पणी करना कंपनी के हित में नहीं है तथा मूल व ब्याज का नियमित रूप से भुगतान जैसे मुद्दों पर टिप्पणी करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

4. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, इन्वेंटरी, स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद एवं माल एवं सेवाओं के विक्रय के लिए आंतरिक नियंत्रण कार्य प्रणाली कंपनी के आकार एवं इसके कार्य की प्रकृति को देखते हुए पर्याप्त है। कंपनी, इन्वेंटरी, स्टाफ अग्रिमों एवं कुछ मध्यस्थ लेखों के संबंध में उप लेजरो का सामान्य लेजर से मिलान कर रही है। कुछ मामलों में विशेष सप्लायर रिकार्ड तैयार नहीं किए जा रहे हैं। उपर्युक्त के संदर्भ में हमें आंतरिक नियंत्रण में प्रमुख कमियों को ठीक करने में किसी प्रकार की निरन्तर चूक देखने को नहीं मिली।
5. (क) हमारे द्वारा उपयोग की गई लेखा प्रविधियों के आधार पर तथा प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 में उल्लिखित कॉन्ट्रैक्ट एवं समझौतों का ऐसा कोई विवरण नहीं है जिसकी इस धारा के तहत बनाए गए अपेक्षित रजिस्टर में प्रविष्टि करने की आवश्यकता है।
- (ख) अतः इस तथ्य पर टिप्पणी करने का प्रश्न ही नहीं उठता कि क्या इन कॉन्ट्रैक्ट अथवा समझौतों के अनुसरण में किए गए लेन-देन बाजार में प्रचलित मूल्यों के संदर्भ में उचित मूल्यों पर किए गए हैं।
6. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं की है। अतः कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क, 58कक या इस अधिनियम के कोई अन्य प्रावधान अथवा तदनुसार बनाए गए नियम कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
7. हमारी राय में आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य कंपनी के आकार तथा कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप बनाए जाने अपेक्षित हैं। वर्ष के दौरान किए गए अत्यधिक प्रचालनों के संबंध में बहुत कम आंतरिक लेखा परीक्षा की गई है। समय पर निष्पादन, रिपोर्ट करने, अनुपालन, प्रमुख ऑन लाइन स्टेशनों तथा केन्द्रीय लेखा कार्यालय तक कार्यक्षेत्र में विस्तार करने, महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बल देने तथा मुख्यालय में समय पर मॉनीटरिंग करने के लिए इसको आगे और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है जिससे प्रभावशाली आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।
8. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, केन्द्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1) (घ) के अधीन लागत रिकार्ड रखने की व्यवस्था को निर्धारित नहीं किया है।
9. (क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं लेखा खातों की हमारी जांच के आधार पर, उक्त अवधि के दौरान कंपनी ने भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रय कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर तथा अन्य लागू सांविधिक देयों सहित अविवादित सांविधिक देयों को सामान्यतः नियमित रूप से उचित प्राधिकारियों के समक्ष जमा कराए हैं, इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं :
- विदेशी स्टेशनों के संबंध में चूंकि रिकार्डों को स्टेशनों में रखा जाता है अतः हम इस विषय में टिप्पणी देने में असमर्थ है कि देयों को समय पर जमा कराया जाता है अथवा नहीं।
  - पंजीकरण संख्या न होने के कारण कॉन्ट्रैक्टरों/सब कॉन्ट्रैक्टरों के कर्मचारियों के कुल 34.0 मिलियन रुपए के भविष्य निधि देय को अलग बैंक खाते में रखा गया है।
  - कंपनी सामान्यतः नियमित रूप से स्रोत पर कर कटौती करती हैं। तथापि, कंपनी ने कुछ स्थानों पर वर्ष के अंत में देय स्रोत पर कर कटौती का मिलान नहीं किया है। कंपनी ने वर्ष के अंत में किए गए कुछ प्रावधानों पर कर की कटौती नहीं की है।
  - कंपनी बहियों एवं फाइल किए गए रिटर्न के अनुसार वसूली योग्य सेवा कर एवं देय सेवा कर का मिलान कर रही है।



जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, मिलान न किए जाने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि 31 मार्च, 2009 को उपर्युक्त के संबंध में अन्य किन्हीं अविवादित देयों का भुगतान किया जाना शेष है जो देय तिथि से छः माह की अवधि से अधिक समय से बकाया हों ।

(ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी विवाद के कारण विक्रय कर, आय कर, सीमा शुल्क, संपत्ति कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क अथवा उपकर का देय बकाया नहीं है, इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं :

अधिनियम का नाम	राशि (मिलियन रुपए में)	देयों का प्रकार एवं न्यायालय जहां विवाद लंबित हैं ।
आयकर अधिनियम, 1961	1677.6	मूल्यांकित आयकर मांग – आयकर (अपील) आयुक्त एवं आयकर अपील ट्रिब्यूनल
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	616.4	सीमा शुल्क एवं ब्याज – सीमा शुल्क आयुक्त (अपील)
नगर निगम प्राधिकारी	110.5	संपत्ति कर – सहायक कर निर्धारक एवं समाहर्ता
विक्रय कर	67.9	कबाड के विक्रय, उपयोग किए गए तेल तथा कैंटीन विक्रय पर विक्रय कर विभाग, दिल्ली द्वारा विक्रय कर की मांग

10. पांच वर्ष से कम अवधि के दौरान कंपनी के पंजीकरण होने के कारण संचित हानि पर टिप्पणी करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।
11. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमें दिखाए गए दस्तावेजों एवं रिकार्डों के आधार पर कंपनी के पास बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के देयों का भुगतान बकाया नहीं है । डिबेंचरधारियों को भी कोई देय बकाया नहीं है ।
12. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमें दिखाए गए दस्तावेजों एवं रिकार्डों के आधार पर कंपनी ने शेयर, डिबेंचर एवं अन्य प्रतिभूति को गिरवी रख कर प्रतिभूति के आधार पर कोई ऋण एवं अग्रिम नहीं दिए हैं ।
13. हमारी राय में एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के कार्य की प्रकृति के कारण कंपनी पर चिट फंड एवं निधि/परस्पर लाभ निधि/समितियों पर लागू कोई विशेष अधिनियम कंपनी पर लागू नहीं होते हैं ।
14. कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों तथा अन्य निवेशों का कार्य नहीं करती है ।
15. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने सहायक कंपनी के लिए बैंकों से ऋण पर गारंटी दी है । इस गारंटी की शर्तें प्रथम दृष्टया कंपनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं ।
16. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार आवधिक ऋणों को जिन उद्देश्यों के लिए लिया गया था उन्हीं उद्देश्यों के लिए ही इनका उपयोग किया गया है ।



17. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण एवं कंपनी के तुलन पत्र एवं कैश फ्लो की संपूर्ण जांच के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि स्थिर परिसंपत्तियों (विमान के अलावा) सहित कार्यशील पूंजी के लिए अल्पकालिक ऋणों का उपयोग दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया ।
18. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत बनाए गए रजिस्टर में सम्मिलित पार्टियों अथवा कंपनियों को शेयरों का कोई प्रीफरेंशियल आबंटन नहीं किया है ।
19. कंपनी ने उक्त अवधि के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किए ।
20. कंपनी ने उक्त अवधि के दौरान पब्लिक इश्यू के जरिए कोई धनराशि एकत्रित नहीं की ।
21. निष्पादित की गई लेखा परीक्षा प्रक्रिया एवं प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि उक्त अवधि के दौरान कंपनी में कोई बड़ी धोखाधड़ी नहीं हो रही है एवं कंपनी ने भी न तो किसी धोखाधड़ी को नोटिस किया है और न ही इसकी सूचना दी है ।

कृते एवं की ओर से  
पी. के. चोपड़ा  
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

सुभाष कपूर  
भागीदार  
सदस्यता सं. 12781

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 17 नवंबर, 2009

कृते एवं की ओर से  
ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी  
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

अनिल के. ठाकुर  
भागीदार  
सदस्यता सं० 088722

स्थान : नई दिल्ली

कृते एवं की ओर से  
छजेद एवं दोशी  
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

किरण के. दफ्तरी  
भागीदार  
सदस्यता सं० 10279

स्थान : मुंबई



वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर प्रबंधन के उत्तर

क्र. सं.	लेखा परीक्षा टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
04.	<p>हम आगे निम्नानुसार सूचित करते हैं :-</p> <p>i) जैसाकि अनुसूची 5 की टिप्पणी संख्या 9 में उल्लिखित किया गया है कि गत वर्ष, वर्ष 2008-09 के दौरान अर्जित किए गए नए विमान बेड़े के बोइंग बी 777/787 तथा एयरबस ए-319/320/321 विमानों का उपयोगी जीवनकाल कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में उल्लिखित 16.96 वर्षों के स्थान पर 20 वर्ष अनुमानित किया गया है, जिसके लिए कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 के तहत निगमित कार्य मंत्रालय से अनुमोदन मांगा है। इसके कारण परिसंपत्तियों का अनुमानित जीवन काल अधिक दर्शाया गया है जिससे वर्ष के लिए 924.00 मिलियन रुपये तक मूल्यहास कम दर्शाया गया है। इस प्रकार, वर्ष के लिए 924.00 मिलियन रुपये तक की हानि कम दर्शायी गयी है तथा पिछले वर्ष 246.30 मिलियन रुपये तक की राशि कम दर्शायी गयी है जिसके परिणामस्वरूप स्थिर परिसंपत्तियां भी 1,170.30 मिलियन रुपये तक अधिक दर्शायी गयी हैं।</p> <p>ii) जैसाकि अनुसूची - V टिप्पणी संख्या 16(छ) में उल्लेख किया गया है कि प्राप्त तथा देय के पुष्टिकरण एवं उनके मिलान के संबंध में वित्तीय विवरणों पर ऐसे शेषों के मिलान/पुष्टिकरण के कारण उत्पन्न समायोजन के प्रभाव पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अतः उक्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव को निश्चित नहीं किया जा सकता।</p> <p>iii) लेखा परीक्षकों से कंपनी के विदेशी स्टेशनों का दौरा करने का अनुरोध किया गया था। इन दौरों का उद्देश्य शाखाओं से संबंधित मूल रिकार्डों का लेखा परीक्षा करना एवं उनके लिए आंतरिक नियंत्रणों की जांच करना था। तथापि कुछ रिकार्ड/दस्तावेज भारत लाए गए तथा हमारी समीक्षा, लेखा परीक्षा समीक्षा के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए रिकार्डों की जांच तक ही सीमित थी।</p>	<p>लेखा मानक 6(एस 6) के अनुसार कंपनी को परिसंपत्तियों की उपयोगी/लाभकारी आयु का निर्धारण करने का हक है तथा यदि वह अधिनियम की निर्धारित अवधि से अधिक है तो कंपनी उसका चयन कर सकती है। बोइंग 777 तथा एयरबस 320 के नए विमान बेड़े के विमान आधुनिक तथा अत्याधुनिक तकनीक वाले विमान हैं तथा तदनुसार कंपनी में इन विमानों की लाभकारी आयु 20 वर्ष मानी है। दोनों विमान निर्माताओं द्वारा जारी डिजाइन सर्विस ओबजेक्टिव (डी एस ओ) के अनुसार यदि शेड्यूल के अनुसार अनुरक्षण कार्य करवाए जाते रहें तो विमान की उड़ान योग्यता तीस वर्ष होगी। इन विमानों पर मूल्यहास प्रभारित करने की दर कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दर से कम है। नए विमान बेड़े में स्ट्रेट लाइन आधार पर मूल्यहास की दर तदनुसार 4.75% होगी (लागत का 95% 20 वर्षों से परिशोधित किया जा रहा है)। कंपनी ने विमान की 20 वर्षों की लाभकारी आयु को ध्यान में रखते हुए बी 777 तथा ए 320 परिवार के विमान बेड़े पर मूल्यहास की कम दर प्रभारित करने के लिए निगमित कार्य मंत्रालय को आवेदन किया है तथा वित्तीय विवरण में इसका उचित खुलासा किया गया है।</p> <p>लेखा परीक्षा के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों को प्राप्तियों तथा अदायगियों का विवरण उपलब्ध कराया गया। कुछ मामलों में जहां पार्टियों से बैलेंस पुष्टिकरण की प्राप्ति पर अंतर देखा गया वहां आवश्यक समाधान प्रक्रियाधीन है तथा यदि कोई समायोजन आवश्यक है, वो किया जाएगा।</p> <p>कुछ स्टेशनों की लेखा परीक्षा करने हेतु सांविधिक लेखा परीक्षकों को विनिहित किया गया था। उनसे प्राप्त सलाह के आधार पर विदेशी स्टेशनों का रिकार्ड केन्द्रीय लेखा कार्यालय, मुंबई (सीएओ) लाया गया। स्टेशनों से संबंधित प्रश्नों का स्पष्टीकरण लेखा परीक्षकों को देने के लिए इन स्टेशनों के लेखा प्रबंधक उपलब्ध थे।</p>



क्र. सं.	लेखा परीक्षा टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
	<p>iv) लेखांकन नीति संख्या च (क) के अनुसार कुछ विमानों को खरीदते समय विमान निर्माताओं द्वारा हैंडलिंग, सर्विसिंग तथा आकस्मिक राजस्व के लिए 770.90 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 1457.30 मिलियन रुपये) का क्रेडिट किया गया था जिसका उपयोग कंपनी द्वारा कल-पुर्ज खरीदने अथवा अन्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए किया जाना था । चूंकि उक्त क्रेडिट का अब तक उपयोग नहीं किया गया है, हमारे विचार में, उक्त क्रेडिट को लाभ तथा हानि खाते में क्रेडिट नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसके स्थान पर उक्त क्रेडिट को लाभ एवं हानि खाते में समायोजित कर देयता के रूप में दर्शाया जाना चाहिए । अतः वर्ष के लिए 770.90 मिलियन रुपये की हानि कम दर्शायी गयी तथा पिछले वर्ष 1457.30 मिलियन रुपये की हानि कम दर्शायी गयी । वर्तमान देयताएं 1034.50 मिलियन रुपये कम दर्शायी गयी ।</p> <p>v) आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि उपर्युक्त पैरा 4 (ii) में उल्लिखित मदों के प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सका, पैरा 4 (i) तथा 4 (iv) में हमारी टिप्पणियों पर विचार करने पर वर्ष में 55,482.60 मिलियन रुपये की रिपोर्ट की गई हानि के स्थान पर 57,177.50 मिलियन रुपये की हानि होगी । पिछली अवधि की हानि रिपोर्ट की गई 22,261.6 मिलियन रुपये की हानि के स्थान पर 23,965.20 मिलियन रुपये होगी। स्थिर परिसंपत्तियां रिपोर्ट की गई 2,75,027.20 मिलियन रुपये के बजाए 2,73,856.90 मिलियन रुपये होगी । वर्तमान देयताएं एवं प्राक्धान रिपोर्ट किए गए 52,555.50 मिलियन रुपये के स्थान पर 53,590.00 मिलियन रुपये होगी ।</p>	<p>विमान/इंजन निर्माताओं से प्राप्त निर्माता क्रेडिट बी एफ ई (बायर फर्नीशड इक्विपमेंट) तथा एस एफ ई (सेलर फर्नीशड इक्विपमेंट) विक्रेताओं के लेखांकन में व्यावहारिक सामंजस्य बनाए रखने के लिए कंपनी के लिए एक एकीकृत लेखाकरण नीति तैयार की गई जो महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के अनुच्छेद एफ (ए) में दी गई है ।</p> <p>चूंकि इस छूट के संबंध में बीएफई तथा एसएफई विक्रेताओं के साथ पृथक रूप से बातचीत की गई थी अतः यह छूट मुख्यतः नकद रियायतों या क्रेडिट नोट के रूप में प्राप्त की गई है । जहां नकद रियायत को भावी इन्वायस या नकद रूप में भुगतान के लिए समायोजित किया जा सकता है वहां क्रेडिट नोट को भावी स्पेयर सपोर्ट के साथ समायोजित किया जा सकता है । कंपनी की यह धारणा थी कि इन सभी नकद/क्रेडिट रियायतों को विमान के पूंजीकरण के वर्ष में निर्माताओं के क्रेडिट के विशिष्ट राजस्व के रूप में लेखाबद्ध किया जाना चाहिए तथा इसे आस्थगित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह विशिष्ट मद है । निर्माता क्रेडिट का लेखांकन कंपनी की समनुरूप लेखा नीति के अनुसार है तथा इसमें हानि तथा चालू देयता को कम करके नहीं दिखाया गया है ।</p> <p>पैरा 4 (i) तथा 4 (iv) के हमारे उत्तर के अनुसार हानि को कम करके नहीं दिखाया गया है ।</p>
05.	<p>निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित किया जाता है :</p> <p>i) अनुसूची - V की टिप्पणी संख्या 8 - पूंजी आरक्षिति को सामान्य आरक्षिति में अंतरित करने एवं तदनन्तर</p>	<p>पूंजीगत आरक्षिति से सामान्य आरक्षिति में अंतरण के लिए लेखा नोट में आवश्यक खुलासा किया गया है ।</p>

क्र. सं.	लेखा परीक्षा टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
	<p>सामान्य आरक्षिति की संचित हानि की क्षतिपूर्ति करने के संबंध में है ।</p> <p>ii) अनुसूची - V की टिप्पणी संख्या 32 - राजस्व की पहचान तथा वसूली योग्य राशि के लिए अप्राक्धान के संबंध में है ।</p> <p>iii) अनुसूची - V की टिप्पणी संख्या 26- एक निश्चित समय पर उगाही जाने वाली आस्थगित परिसंपत्तियां मानने के लिए प्रबंधन द्वारा दिए गए तर्क के संबंध में है ।</p> <p>iv) अनुसूची - V की टिप्पणी संख्या 15-कंपनी ने कर्मचारियों को दिए गए निःशुल्क पैसेज तथा क्रू के होटल व्यय को अनुषंगी लाभ नहीं माना तथा तदनुसार उन पर अनुषंगी लाभ कर (एफ बी टी) का प्राक्धान नहीं करने के संबंध में है। कंपनी ने उक्त अवधि के लिए व्ययों के अनुमान के आधार पर अनुषंगी लाभ कर (एफ बी टी) का प्राक्धान/भुगतान किया ।</p> <p>v) अनुसूची - V की टिप्पणी संख्या 7 - 51,295.10 मिलियन रुपये की राशि तथा वसंत विहार आवासीय कालोनी में अचल संपत्ति का सामान्य आरक्षिति पर परिणामी प्रभाव लीज डीड की बहाली के अधीन होने के संबंध में है ।</p> <p>vi) अनुसूची - V की टिप्पणी संख्या 17 - हैंडलिंग एवं सुरक्षा सेवा राजस्व की गणना उद्धृत दरों के आधार पर की गई है जिनके समझौतों को अभी अंतिम रूप दिया जाना शेष है, से संबंधित है ।</p>	<p>प्रबंधन का यह विचार है कि चूंकि मामलों पर सिटी सिविल कोर्ट मुम्बई में मुकदमें चल रहे हैं अतः राजस्व की वसूली की पर्याप्त संभावना है । चूंकि मामला न्यायाधीन है अतः प्रबंधन ने विभिन्न पार्टियों से वसूली योग्य राशि के लिए प्राक्धान करना आवश्यक नहीं समझा ।</p> <p>आस्थगित कर परिसंपत्तियों के विवेचन के विस्तृत औचित्य का अनुसूची V के नोट सं0 26 में पर्याप्त रूप से खुलासा किया गया है ।</p> <p>कंपनी के कर्मचारियों को प्राप्य 'शून्य' कीमत के निःशुल्क पैसेजों पर पूर्णतः छूट दिए जाने के संबंध में कंपनी तथा बोर्ड ऑफ एयरलाइन रिप्रेजेंटेटिव्स (इंडिया) द्वारा सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन पर अंतिम निर्णय लंबित होने के कारण एफबीटी के लिए कोई प्राक्धान नहीं किया गया है । इसी प्रकार क्रू पर किये जाने वाले होटल व्यय को अनुषंगी लाभ नहीं माना जाता है क्योंकि भारत तथा विदेश में कर्मचारियों को होटल आवास उनकी उड़ान ड्यूटियों के कार्य निष्पादन के अंतर्गत ही उपलब्ध कराया जाता है । यह कंपनी को प्राप्त विशेषज्ञ राय पर आधारित है ।</p> <p>अन्य लागू खर्चों पर एफबीटी के संबंध में पर्याप्त प्राक्धान लेखों में मौजूद हैं ।</p> <p>जैसाकि नोट संख्या 7 में उल्लिखित है - भूमि तथा विकास अधिकारी (एल एंड डी ओ) द्वारा अपेक्षित आवश्यक दस्तावेजों को अगस्त, 2009 के दौरान जमा करा दिया गया था तथा कंपनी के संपत्ति अधिकार के नियमितिकरण तथा बहाली के लिए तेजी से अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है ।</p> <p>इसका पर्याप्त खुलासा लेखा टिप्पणी में किया गया है ।</p>



क्र. सं.	लेखा परीक्षा टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
	<p>vii) जैसाकि केन्द्रीय सरकार ने धारा 441 ए के तहत देय उपकर को अधिसूचित नहीं किया है, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227(3) (छ) के तहत रिपोर्टिंग की आवश्यकता ही नहीं है ।</p> <p>viii) टिप्पणी संख्या 33-कंपनी द्वारा सिमुलेटर भेंट करने के संबंध में है जिसके लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त होना शेष है ।</p> <p>ix) टिप्पणी संख्या 3 (क) एवं (ख) लेखांकन नीतियों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न परिणामों के प्रभाव के संबंध में है जिसके प्रभाव से हानि में 967.4 मिलियन रुपये की कमी आई है ।</p>	<p>इसका पर्याप्त खुलासा लेखा टिप्पणी में किया गया है ।</p> <p>बी 747-200 सिमुलेटर को नेहरू साइंस सेंटर, मुम्बई को दान किए जाने को अनुमोदन हेतु शेयरधारकों के समक्ष रखा जाएगा ।</p> <p>इसका पर्याप्त खुलासा लेखा टिप्पणी में किया गया है ।</p>



दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की उसी तारीख की रिपोर्ट के पैरा (3) में निर्दिष्ट अनुलग्नक)

क्र. सं.	लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ	प्रबंधन के उत्तर
1(क)	<p>कंपनी ने रोटेबल्ल्स को छोड़कर, स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में मात्रात्मक विवरण एवं उनके स्थान सहित संपूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकार्ड रखे हैं। कंपनी ने कुछ स्थानों पर स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य अपडेट नहीं किया है। कुछ स्थानों पर एयरक्राफ्ट रोटेबल्ल्स तथा अन्य परिसंपत्तियों के लिए स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर का मिलान वित्तीय रिकार्डों के साथ किया जा रहा है।</p>	<p>एयरक्राफ्ट रोटेबल्ल्स के लिए विशिष्ट एवं मात्रात्मक विवरण वर्तमान व्यवस्था में उपलब्ध हैं। तथापि, सभी स्थानों पर स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर तथा परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का अपडेशन किया जा रहा है।</p>
(ख)	<p>कंपनी बारी-बारी से स्थिर परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन करती है जिससे प्रत्येक परिसंपत्ति का प्रत्येक दो वर्ष में एक बार सत्यापन हो जाता है जोकि हमारी राय में पर्याप्त है। वर्ष के दौरान प्रबंधन ने कुछ स्थानों पर ही प्रत्यक्ष सत्यापन कराया है। वित्तीय रिकार्डों तथा प्रत्यक्ष सत्यापन के परिणामों के बीच पूर्ण मिलान न होने के कारण हम यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि प्रत्यक्ष सत्यापन में कोई बड़ी त्रुटि तो नहीं है।</p>	<p>31 मार्च, 2008 को समाप्त द्विवार्षिक अवधि के लिए जहां पर भी स्थिर परिसंपत्तियों का समाधान किया गया, उन्हें बही खातों में समायोजित किया गया है। अन्य स्थानों के संबंध में, सत्यापन एवं मिलान के पूर्ण होने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।</p>
2 (ख)	<p>प्रबंधन द्वारा निरंतर आधार पर इन्वेंटरी के प्रत्यक्ष सत्यापन की कार्यप्रणाली उपयुक्त है। तथापि, कंपनी के आकार एवं उसके कार्य की प्रकृति को देखते हुए, इसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाया जाना चाहिए। कंपनी ने उक्त अवधि के दौरान कुछ ही स्थानों में इन्वेंटरी का प्रत्यक्ष सत्यापन किया है। कंपनी ने बाहरी एजेंसियों के पास पड़ी इन्वेंटरी के संबंध में पुष्टि/प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किए हैं।</p>	<p>अन्य स्थानों पर भी इन्वेंटरी का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाएगा एवं शीघ्र ही इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।</p> <p>कंपनी बाहरी एजेंसियों के पास पड़ी इन्वेंटरी के संबंध में पुष्टि/प्रमाणपत्र प्राप्त कर रही है।</p>
4.	<p>हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, इन्वेंटरी, स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद एवं माल एवं सेवाओं के विक्रय के लिए आंतरिक नियंत्रण कार्य प्रणाली कंपनी के आकार एवं इसके कार्य की प्रकृति को देखते हुए पर्याप्त है। कंपनी, इन्वेंटरी, स्टॉक अग्रिमों एवं कुछ मध्यस्थ लेखों के संबंध में उप लेखों का सामान्य लेजर से मिलान कर रही है। कुछ मामलों में विशेष सत्यापन रिकार्ड तैयार नहीं किए जा रहे हैं। उपर्युक्त के संदर्भ में हमें आंतरिक नियंत्रण में प्रमुख कमियों को ठीक करने में किसी प्रकार की निरन्तर शूक देखने को नहीं मिली।</p>	<p>अधिकांश सहायक बही खातों का सामान्य बही खातों के साथ मिलान किया गया है। सहायक बही खातों एवं सामान्य बही खातों के बीच कोई बड़ी त्रुटि नहीं है।</p> <p>यद्यपि अधिकतर सत्यापनों के संबंध में पार्टी अनुसार रिकॉर्ड पहले ही उपलब्ध हैं, तथापि 2009-10 से वार्षिक सत्यापनों तक इस व्यवस्था को लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।</p>

क्र. सं.	लेखा परीक्षा टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
7.	<p>हमारी राय में आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य कंपनी के आकार तथा कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप बनाए जाने अपेक्षित हैं । वर्ष के दौरान किए गए अत्यधिक प्रचालनों के संबंध में बहुत कम आंतरिक लेखा परीक्षा की गई है । समय पर निष्पादन, रिपोर्ट करने, अनुपालन, प्रमुख ऑन लाइन स्टेशनों तथा केन्द्रीय लेखा कार्यालय तक कार्यक्षेत्र में विस्तार करने, महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बल देने तथा मुख्यालय में समय पर मॉनीटरिंग करने के लिए इसको आगे और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है जिससे प्रभावशाली आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके ।</p>	<p>वर्ष के प्रारंभ में, नैसिल के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग ने सभी गतिविधियों को शामिल करने एवं अपने सत्यापन का विस्तार करने के लिए व्यापक न्यूनतम लेखा परीक्षा कार्यक्रम (एमएपी) तैयार किया है। एमएपी में आंतरिक लेखा परीक्षा का उद्देश्य पर्याप्त रूप से परिभाषित किया गया है जिसका अनुसरण नियमित रूप से विभिन्न क्षेत्रों/पंजीकृत कार्यालय/मुख्यालय में सभी आंतरिक लेखा परीक्षा इकाइयों द्वारा किया जाता है। एमएपी रिपोर्ट प्रत्येक माह सभी क्षेत्रों द्वारा लेखा परीक्षा मुख्यालय भेजी जाती है।</p> <p>उपर्युक्त के अतिरिक्त, आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग विभिन्न प्रक्रिया/निष्पादन एवं अंतरराष्ट्रीय/घरेलू स्टेशनों की समीक्षा भी करता है। वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान, आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग ने चार अंतरराष्ट्रीय एवं 20 घरेलू स्टेशनों की समीक्षा भी की। जोखिम के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आंतरिक लेखा परीक्षा ने कंपनी की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित 20 प्रणाली/निष्पादन समीक्षाएं भी की हैं एवं टिप्पणियों के साथ अपने सुझावों को भी आवश्यक कार्यवाही के लिए संबंधित विभागों को प्रेषित किया है।</p>
9(क)	<p>हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं लेखा खातों की हमारी जांच के आधार पर, उक्त अवधि के दौरान कंपनी ने भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रय कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर तथा अन्य लागू सांविधिक देयों सहित अविवादित सांविधिक देयों को सामान्यतः नियमित रूप से उचित प्राधिकारियों के समक्ष जमा कराए हैं, इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं :</p> <p>विदेशी स्टेशनों के संबंध में चूंकि रिकार्डों को स्टेशनों में रखा जाता है अतः हम इस विषय में टिप्पणी देने में असमर्थ है कि देयों को समय पर जमा कराया जाता है अथवा नहीं।</p> <p>पंजीकरण संख्या न होने के कारण कॉन्ट्रेक्टरों/सब कॉन्ट्रेक्टरों के कर्मचारियों के कुल 34.0 मिलियन रुपए के भविष्य निधि देय को अलग बैंक खाते में रखा गया है ।</p>	<p>कंपनी ने विदेश स्थित स्टेशनों पर स्थानीय कानूनों के अनुसार सांविधिक देयों का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया है।</p> <p>ठेके पर मजदूरी संबंधी मामला न्यायाधीन होने के कारण, ठेकेदारों/उपठेकेदारों के कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि देय राशि को अलग बैंक खाते में रखा जाता है।</p>



क्र. सं.	लेखा परीक्षा टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
	<p>कंपनी सामान्यतः नियमित रूप से स्रोत पर कर कटौती करती हैं। तथापि, कंपनी ने कुछ स्थानों पर वर्ष के अंत में देय स्रोत पर कर कटौती का मिलान नहीं किया है। कंपनी ने वर्ष के अंत में किए गए कुछ प्रावधानों पर कर की कटौती नहीं की है।</p> <p>जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, मिलान न किए जाने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि 31 मार्च, 2009 को उपर्युक्त के संबंध में अन्य किन्हीं अविवादित देयों का भुगतान किया जाना शेष है जो देय तिथि से छः माह की अवधि से अधिक समय से बकाया हों।</p>	<p>कंपनी ने सभी निश्चय/निर्धारण योग्य देयताओं हेतु टीडीएस प्रावधानों को लागू किया है और उन्हें संबंधित प्राधिकरण में जमा कराया है। तथापि टीडीएस भुगतान की प्रक्रिया को आगे और सरल बनाने के लिए एक पृथक सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है।</p> <p>जहां तक हमारी जानकारी व अनुमान है, ऐसी किसी भी देय राशि का भुगतान नहीं किया जाना है जो देय तिथि से छः माह से अधिक अवधि के लिए बकाया हो।</p>